FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम बायतु

हरखु देवी बनाम अन्नाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील वाद नं. 60/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/4/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
19/04/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-28/06/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
28/06/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-04/07/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/07/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या - 1 से 11 की ओर से वकील श्री खियाराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकजाई जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या - 12 व 13 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या - 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई वादनी के अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में वादनी स्वयं का शपथ-पत्र PW-1 - हरखुदेवी पत्नी हड़मानराम जाति - जाट निवासी - भोजासर तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया। तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 - मन्नाराम पुत्र हड़मानराम जाति - जाट निवासी - भोजासर तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी साक्ष्य और पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक - 10/08/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उ. बायतु जिला - बाड़मेर

अह...क्म हुक्म ... में जारी ...	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/08/2022	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 60/2022

वादीगण

1. हरखूदेवी पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. अन्नाराम पुत्र हड़मानराम
2. अनोपाराम पुत्र प्रहलादराम
3. गोरधनराम पुत्र उम्मेदाराम
4. चूनाराम पुत्र धुड़ाराम
5. डूंगराराम पुत्र धुड़ाराम
6. धापूदेवी पत्नी धुड़ाराम
7. नैनाराम पुत्र उमेदाराम
8. पुराराम पुत्र धुड़ाराम
9. फूसाराम पुत्र प्रहलादराम के कायम मुकाम
   9/1. मुकनाराम पुत्र फुसाराम
   9/2. वालाराम पुत्र फुसाराम
   9/3. रेखाराम पुत्र फुसाराम
10. भीयाराम पुत्र उमेदाराम
11. रूगाराम पुत्र धुड़ाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बायतु
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीनी
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

–: निर्णय :– दिनांक : 10.08.2022

वादीनी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भोजासर पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 100, 125, 20, 278, 302, 461/15, 506/101, 519/130 रकबा क्रमशः 4.8621, 7.5399, 6.8260, 4.7488, 5.8491, 2.0468, 3.7861, 12.7741 हैक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीनी के ससुर के कब्जे काश्त की होने से वादीनी के ससूर के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। वादीनी के पति का देहान्त वादीनी के ससूर के देहान्त से पूर्व हो चुका था तथा वादीनी के ससूर उम्मेदा के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि मे वादीनी के पति हड़मानराम का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था तथा वादीनी के ससूर के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण परित किया गया जो नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया जबकि वादीनी भी उम्मेदा की प्रथम श्रेणी वारिश है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीनी के पति की पैतृक भूमि होने और वादीनी हड़मान की विवाहित पत्नी तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम तथा राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार प्रथम श्रेणी वारिश वादीनी का वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर बराबर का हिस्सा है तथा वादीनी अपने हिस्से अनुसार भूमि का मौके पर बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद वादीनी द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीनी के वकील द्वारा वाद को साबित करने हेतु वादी साक्ष्य स्वरूप वादीनी स्वयं का शपथ पत्र PW-1 पेश किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीनी वकील द्वारा नामान्तरकरण संख्या 268/30.05.1985 की प्रति पेश की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनी के ससूर के कब्जे काश्त की थी तथा वादीनी उम्मेदा की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी के पति का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीनी सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के ईकबाली जवाबदावा को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा भोजासर पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 100, 125, 20, 278, 302, 461/15, 506/101, 519/130 रकबा क्रमशः 4.8621, 7.5399, 6.8280, 4.7488, 5.8491, 2.0468, 3.7861, 12.7741 हैक्टेयर में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा वाद पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

1. हरखूदेवी पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. अन्नाराम पुत्र हड़मानराम
2. अनोपाराम पुत्र प्रहलादराम
3. गोरधनराम पुत्र उम्मेदाराम
4. चूनाराम पुत्र धुड़ाराम
5. डूंगराराम पुत्र धुड़ाराम
6. धापूदेवी पत्नी धुड़ाराम
7. नैनाराम पुत्र उमेदाराम
8. पुराराम पुत्र धुड़ाराम
9. फूसाराम पुत्र प्रहलादराम के कायम मुकाम
   9/1. मुकनाराम पुत्र फुसाराम
   9/2. वालाराम पुत्र फुसाराम
   9/3. रेखाराम पुत्र फुसाराम
10. भीयाराम पुत्र उमेदाराम
11. रूगाराम पुत्र धुड़ाराम
    जाति जाट निवासी भोजासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बायतु
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु.

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–60/2022. निर्णय दिनांक :– 10.08.2022

वादीनी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.08.2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर, बायतु द्वारा अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का इकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर मौजा भोजासर पटवार मण्डल सेवनियाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 100, 125, 20, 278, 302, 461/15, 506/101, 519/130 रकबा क्रमशः 4.8621, 7.5399, 6.8280, 4.7488, 5.8491, 2.0468, 3.7861, 12.7741 हैक्टेयर में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	